[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 13/2023–केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 मई,2023

सा.का.नि. . . .(अ).- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019–केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, चौथे परंतुक के बाद, निम्न परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका कारोबार का मूल स्थान मणिपुर राज्य में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-7** में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, माह अप्रैल, 2023 के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 मई, 2023 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।"।

2. यह अधिसूचना 10 मई, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.स.सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 20/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 203(अ) तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी ।